फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी मुकेश मेघवंशी शाखा कार्यालय तिसरी मंजिल, लेण्डमार्क टॉवर, अपोजिट जय क्लब, सी स्कीम, जयपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री मदनलाल पुत्र श्री मोहनलाल सोलंकी (महाजन) नि. 332, बस स्टेण्ड, इवन घाटी, टांटोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद **—ऋणी**
2. श्रीमती चन्द्रा देवी सोलंकी पत्नी श्री मदनलाल सोलंकी (महाजन) नि. घाटी टाटोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द **— सहऋणी**

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 34/2022**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर ने दिनांक 21.01.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये दो अनुबन्ध खाता संख्या 5E5RHB64437518 दिनांक 22.01.2018 से 15,50,481 अक्षरे पन्द्रह लाख पचास हजार चार सौ इक्कीयासी रूपये एवं दूसरा ऋण खाता संख्या 5E5RHT67786306 दिनांक 22.03.2018 के द्वारा 13,33,519 अक्षरे तेरह लाख तैतिस हजार पॉच सौ उन्नीस रूपये जो कुलिया ऋण राशि 28,84,000/— अक्षरे अठाईस लाख चोरीयासी हजार रूपये लिया था। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति — पट्टा नं. 2856, ग्राम टान्टोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द जिसके पडौस निम्न प्रकार से है — पूर्व : श्री किशन सिंह जी का बाडा, पश्चिम : आम रास्ता, उत्तर : श्री किशन सिंह जी का बाडा, दक्षिण : श्रीमती चंदा बाई का मकान। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 05.07.2021 को ऋण खाते में भुगतान व्यतिक्रम होने से अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खातो को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण से उक्त ऋण खाता संख्या 5E5RHB64437518 दिनांक 22.01.2018 से 15,50,481/— अक्षरे पन्द्रह लाख पचास हजार चार सौ इक्कीयासी रूपये एवं दूसरा ऋण खाता संख्या 5E5RHT67786306 दिनांक 22.03.2018 के द्वारा 13,33,519 अक्षरे तेरह लाख तैतिस हजार पॉच सौ उन्नीस रूपये जो कुलिया ऋण राशि 28,84,000/— अक्षरे अठाईस लाख चोरीयासी हजार रूपये बकाया होने एवं	

ब्याज राशि सहित दिनांक 12.08.2021 तक 28,87,345/– अक्षरे अठाईस लाख सीत्यासी हजार तीन सौ पैंतालिस रूपये का उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 09.09.2021 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अप्रार्थी को उनके ज्ञात पतें पर प्रेषित किया जो भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट अनुसार दिनांक 18.09.2021 को प्राप्त हो गया। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। प्रार्थी कम्पनी उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 09.09.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट की प्रति पेश की गई । उसके बावजुद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति ग्राम टांटोल का पट्टा नं. 2856, ग्राम टान्टोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द जिसके पडौस निम्न प्रकार से है – पूर्व : श्री किशन सिंह जी का बाडा, पश्चिम : आम रास्ता, उत्तर : श्री किशन सिंह जी का बाडा, दक्षिण : श्रीमती चंदा बाई का मकान है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)